आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P.N. 14/9.10.18
P.N. 37/29.11.18

आदेश

विविध वाद संख्या– 09/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

रामराज यादव .... प्रथम पक्ष

बनाम

रामलगन यादव वगैरह ....द्वितीय पक्ष

09.08.2018 यह प्रक्रिया आवेदक 1. रामराज यादव, पिता– स्व0 चलीतर यादव, ग्राम– डेमा, थाना– हरिहरगंज, जिला–पलामू ने 1. रामलगन यादव, 2. रामधनी यादव 3. शिवधनी यादव 4. नंदू यादव चारो के पिता– रामेश्वर यादव 5. युगेश यादव 6. सुरेन्द्र यादव दोनो के पिता– रामलगन यादव 7. अकलेश यादव 8. अशोक यादव दोनो के पिता– रामधनी यादव 9. अवधेश यादव 10. प्रवेश यादव दोनो के पिता– शिवधनी यादव 11. मुकेश यादव 12. राकेश यादव दोनो के पिता– नंदू यादव सभी ग्राम– डेमा, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर थाना प्रभारी, हरिहरगंज से इस कार्यालय के ज्ञापांक– 598 दिनांक– 07.06.2018 से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, हरिहरगंज ने अपने अप्राथमिकि सं0– 02/18 दिनांक– 09.06.2018 से जाँच प्रतिवेदन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति– व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है– मौजा– डेमा, खाता सं0– 21, प्लॉट सं0– 865, रकबा– 0.19 एकड़, चौहद्दी, उतर– मकान एवं रास्ता, दक्षिण– नन्हक महतो वगै0, पूरब– रास्ता, पश्चिम– बीरज महतो, के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि ग्राम – डेमा के खाता सं0– 21, प्लॉट सं0– 865, रकबा– 0.19 एकड़ के अलावे अन्य भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वज कि भूमि थी। उक्त खाता के खतियानी रैयत ठाकुर महतो थे। प्रथम पक्ष के द्वारा ठाकुर महतो का वंशावली कारण पृच्छा के साथ संलग्न है। वंशावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत ठाकुर महतो के वंशज हैं और प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर भूमि पर संपूर्ण दखल कब्जा एवं पूर्ण स्वामित्व का अधिकार स्थापित है। इस वाद की भूमि का जमाबंदी प्रथम पक्ष के दादा कैलाश महतो के नाम से संधारित है। द्वितीय पक्ष बलपूर्वक इस वाद के भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण कर प्रथम पक्ष के भूमि से बेदखल करने

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

का प्रयास कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष का दावा काल्पनिक एवं निराधारा है एवं द्वितीय पक्ष अवैध एवं निराधार वासगित पर्चा बनवाकर प्रथम पक्ष के खतियानी भूमि को हड़पना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा वासगित पर्चा के आधार पर दावा करना गलत एवं गैरकानुनी है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि मौजा– डेमा के खाता सं0– 21, प्लॉट सं0– 865, रकबा– 0.23 एकड़ चौहद्दी उत्तर– रास्ता, दक्षीण– नन्हक महतो वगैरह, पूरब– रास्ता, पश्चिम– छठन महतो के अंतर्गत भूमि बासगीत पर्चा से रामेश्वर यादव पिता– विशुनदेव यादव ग्राम– डेमा, थाना– हरिहरगंत, जिला– पलामू को सरकार के द्वारा हासिल है, जिसका सरकारी लगाल रसीद रामेश्वर यादव के नाम से निर्ग होते चला आ रहा है। हाल सर्वे में उक्त भूमि का खतियान रामेश्वर यादव पिता– विशुन यादव एक अंश एवं परेमिया देवी पिता– उदय यादव एक अंश दर्ज है। उक्त भूमि में विपक्षी का आवासीय मकान है और खाली भूमि घरबारी के रूप में उपयोग करते चले आ रहे हैं। विपक्षी के द्वारा द्वितीय पक्ष को परेसान करने के नियत से यह मुकदमा न्यायालय में लाया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि द्विती पक्ष का दावा ठोस दस्तावेजों पर आधारित है। अतः प्रकियान्तर्गत

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2
1	निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाता है तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 9/8/17 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

9/8/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:26:16 +05:30
Location: 192.168.1.13